ीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.9	पत्रावली पेश हुई। वकुलाई फेरिकेन उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर दोहरान करते हुए कथन किया कि वाद वर्णित भूमि के संबंध में न्यायालय में तकासमा का वाद बउनवानी मोहनसिंह बनाम उम्मेदसिंह तथा अन्य वाद उम्मेदसिंह बनाम उमरावसिंह जेरकार है। व अन्य वाद संख्या 124/14 जिसको वादी उम्मेदसिंह ने 17.03.2023 को विड्रॉ कर लिया है। जिससे वाद वर्णित भूमि पर पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 17.09.2014 खारिज हो गया है। इसलिए वाद वर्णित भूमि का तकासमा होने तक रहन दान बेचान नहीं हो इस कारण द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सरसड़ीरामपुरा में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 मौके पर अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज है। जिसका मौके व कब्जे अनुसार तकासमा कराया जाना न्यायसंगत व विधिसंगत है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के मन में बेईमानी व खोट आ जाने के कारण वाद वर्णित आराजियात का रहन–दान बेचान आदि करके प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा मजाहमत करने पर उतारू हैं। अतः निवेदन है कि वाद वर्णित भूमि का विधिवत् तकासमा होने तक पत्रावली में जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.08.2023 को ताफैसला कन्फर्म फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद वर्णित भूमि के तकासमा होने तक रहन दान बेचान नहीं करने, मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में बाधा मजाहमत नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया है कि मोहनसिंह बनाम उम्मेदसिंह के उनवान से न्यायालय में वर्ष 2017 से ही एक वाद विचाराधीन है। जिसके साथ प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पूर्व में ही पेश कर वाद वर्णित भूमि पर न्यायालय का स्थगन प्राप्त कर रखा हैं। न्यायालय में जेरकार अन्य प्रकरण इन्दुकंवर बनाम उमरावसिंह का वाद वर्णित भूमि से कोई संबंध नहीं है। वह वाद अन्य भूमि से संबंधित होकर न्यायालय में जेरकार है। प्रार्थीगण ने बदनियती व बेईमानी पूर्वक स्थगन के बावजूद भी पुनः पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष विधि विरूद्व जाकर पेश किया हैं जो कि चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने बेईमानी के चलते पुनः स्थगन प्राप्त किया है एवं अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर रहे है। वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 172/28, 28/8, 2/2, 20, 21, 26, 27, 28/4, 31/3, 35/1, 36/1, 37, 38, 10/1, 12, 28/1, 30/1, 15, 11, 13 ,14 , 16, 17, 19 वाके ग्राम सरसड़ीरामपुरा पटवार हल्का वनस्थली में स्थित हैं जिसमें अप्रार्थीगण 1/2 हक के खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज हैं। जिस	

पर प्रार्थीगण को अनावश्यक बाधा मजाहमत करने एवं झूठे मुकदमें पेश अप्रार्थीगण को पाबंद करवाने का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण वाद वर्णित उक्त भूमि का तकासमा करवाने हेतु सहमत हैं किन्तु प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के चाह को हथियाने के उद्येश्य से बार–बार झूठे मुकदमें पेश अप्रार्थीगण को न्यायालय स्थगन से हैरान परेशान करना चाहता हैं। अप्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि पर वैधानिक व संवैधानिक खातेदार मालिक स्वामी होने के कारण उनके विधिक अधिकारों का उपयोग उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें प्रार्थीगण किसी भी रूप से रोक नहीं सकते। अतः प्रार्थीगण का द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद का अवलोकन किया गया। मूल वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित होकर दिनांक 27.07.2017 से आदिनांक तक तलबी के स्तर पर जेरकार हैं। जिसके साथ में दिनांक 27.07.2017 को ही प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश है। जिसमें वाद वर्णित भूमि पर न्यायालय हाजा का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी हैं। प्रार्थीगण ने वाद वर्णित भूमि पर पूर्व से ही न्यायालय स्थगन होने के उपरान्त भी यह प्रार्थना–पत्र द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है जबकि मूल वाद सन् 2017 से आदिनांक तक तलबी के स्तर पर जैरकार है जिसमें वादीगण से प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन चाहा गया है जो कि आदिनांक अप्राप्त है। जिससे न्यायालय को यह महसूस होता है कि वादीगण/प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि के तकासमा से ज्यादा से वाद वर्णित भूमि पर न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने की ज्यादा मंशा रखते है। अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि में 1/2 हक व हिस्से के खातेदार हैं ऐसे में अप्रार्थीगण को अपने ही हक व हिस्से की भूमि पर दोहरे न्यायालय स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही प्रार्थीगण ने ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेजात भी प्रस्तुत नहीं किये है जिससे की वाद वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण को दोहरे स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने के अतिरिक्त न्यायालय के पास अन्य कोई विकल्प नहीं हो। जिससे प्रार्थीगण का द्वितीय प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, पत्रावली में दिनांक 21.08.2023 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढाया जाता। प्रार्थीगण का द्वितीय प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)